प्रकरण संख्या 1/2020 मंगला बनाम हुरमा

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.10.2022	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुए। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी एवं ही परिवार के होकर चचेरे भाई हैं। मौजा भाटपुर में वादी के स्वयं के कब्जे काश्त की आराजी नंबर 334 रकबा 8 बिस्वा भूमि स्थित होकर वादी का 3/12 हिस्सा है तथा प्रतिवादी भी उक्त आराजी का सहखातेदार है। प्रतिवादी का पूर्व से ही उसके हिस्से की जमीन पर मकान बना हुआ है। उक्त आराजी पर पूर्व से ही 3 मकान बने हुए है तथा शेष आराजी शामलाती है, जिसका बंटवारा नहीं हुआ है। प्रतिवादी वादी के कब्जे काश्त की आराजी नंबर 338 को जबरन हड़पना चाहता है एवं नींव खोदकर अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है, जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। अतः विपक्षी संख्या 1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 25.02.2020 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री देवेन्द्र कटारा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। वक्त बहस अभिभाषक अपीलान्ट ने निवेदन किया कि प्रकरण दिनांक 25.02.2.20 को बहस हेतु नियत था, किन्तु बिना बहस सुने पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 01.05.2019 को खारिज कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दुओं पर कोई गौर नहीं किया है तथा अपीलान्ट अथवा उसके अधिवक्ता को बिना सुने निर्णय पारित किया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.14 14:59:42 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि सम्मत बताया तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न पर्चा मौका दिनांक 07.06.2019 स्पष्ट नहीं है। मौका रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट नहीं होता है कि यह निर्माण विवादित खसरे पर हो रहा है अथवा अन्यत्र। अधिनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट स्पष्ट नहीं होते हुए भी दिनांक 25.02.2020 को निर्णय पारित करते हुए अपीलान्ट के पक्ष में पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 01.05.2019 को खारिज कर दिया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.02.2020 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में विस्तृत मौका रिपोर्ट प्राप्त कर एवं पक्षकारों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 19.12.2022 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 17.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.14 14:39:42 IST
Reason: SelfAttested